



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220634
CG-DL-E-22072020-220634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]
No. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ 31, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (34)—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 2508 : 2016 पोलीएथिलीन फिल्म और शीट – विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3 जुलाई 2020	8 जुलाई 2020	7 अक्टूबर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल,

भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।
भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा.-जी. एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./131/2020-21]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-21 (34)—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 2508 : 2016 Polyethylene films and Sheets – Specification (Third Revision)	Amendment No. 3 July 2020	8 July 2020	7 Oct 2020

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std. P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./131/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (35) — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 4505 : 2015 सोडियम फार्मेलडीहाइड सलफोक्सीलेट —विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जुलाई 2020	8 जुलाई 2020	7 सितम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा.-जी. एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./131/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-21 (35)—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 4505 : 2015 Sodium Formaldehyde Sulphoxylate — Specification (First Revision)	Amendment No. 2 July 2020	8 July 2020	7 Sep 2020

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std. P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./131/2020-21]